S.No.	Name of the Office	Number of Officials involved	Outcome of the Searches
	Delhi Government Offices		*14 Searches (Fourteen)*
(i)	Sub-Registrar. V, C-Block, DDA, Vikas Sadan, N.Delhi	4	
(ii)	Sub-Registrar Offices at:—		
	(a) Tis Hazari	1	
	(b) Kashmiri Gate	1	
	(c) Janak Puri	1	
	(d) Asaf Ali Road	2 (Private person)	
	(e) Seelam Pur	NIL	
(iii)	*Motor Vehicles Inspection Unit, Burari, Deptt. of Transport Commissioner Delhi Administration.*	11 (Including 4 Private Persons)	In all the above cases registered by the CBI, the Law will take its course.
(iv)	*Sales Tax Office, IP Estate (6 Wards)*	8 (Including 1 Private Person)	

ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में मेहता समिति

501. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डी० आर० मेहता समिति कब गठित की गई थी और इस समिति के सदस्यों के नाम कया हैं;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार को यह रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी और समिति ने क्या-क्या सुझाव दिए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उन सुझावों को अमल में लाने के लिए कार्यवाही की है और यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग) (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) श्री डी० आर० मेहता की अध्यक्षता में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर एक विशेषज्ञ समिति को 29 सितंबर, 993 को गठित किया गया था। इस समिति के संघटन को विवरण में दर्शाया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) जी, हां।

(ग) रिपोर्ट अक्तूबर, 1994 में प्राप्त हुई थी। समिति की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी,

(2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों का चयन उनके परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के बारे में दक्षता, रूझान और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य लोगों को भी सहायता उनके द्वारा ट्राइसेम अथवा अन्य संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत कौशल के अर्जन अथवा उसे उन्नत बनाने के आधार पर दी जा सकती है,

(3) इस समय कार्य आरंभ होने से पहले सबसिडी दिए जाने की प्रणाली की कार्योत्तर सबसिडी दिया जाना,

(4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणों की बेहतर वसूली हेतु उपाय,

(5) यर्थाथवादी पुनर्अदायगी अनुसूची बनाना और प्रतिभूति मुक्त सीमा में वृद्धि,

(6) कार्यशील पूंजी की मांग को पूरा करने की आवश्यकता,

(7) बुनियादी ढांचों की बेहतर आयोजन और विकास पर बल देना,

(8) अधिक ऋण और उच्चतर सबसिडी को मुहैया कराकर प्रति परिवार सहायता के सतर में वृद्धि;

(9) समूह गतिविधियों के लिए वित्त की अधिकतम सीमा को बढ़ाना और;

(10) परम्परागत लक्ष्योन्मुख नीतियों में संशोधन।

(घ) जी, हां। समिति की सिफारिशों को भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार द्वारा समर्थन दिया / स्वीकार कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी, 1995 में बैंकों को संबंधित सिफारिशें लागू करने के अनुदेश पहले से ही जारी किए जा चुके हैं। तथापि, कुछ सिफारिशें जिन पर नीति संबंधी निर्णयों की आवश्यकता है, को मंत्रीमंडल के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने वाली विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की सूची

1.	श्री डी० आर० मेहता डिप्टी गर्वनर भारतीय रिवर्ज बैंक केन्द्रीय कार्यालय बम्बई 400023	अध्यक्ष
2.	श्री बी०एन० युगान्धर सचिव, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली-110001	सदस्य
3.	श्री आर०वी० गुप्ता विशेष सचिव, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली-110001	सदस्य
4.	श्री पी० कोटैया अध्यक्ष राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक स्टर्लिंग सेंटर, वर्ली, बम्बई-400018	सदस्य
5.	श्री रशीद जिलानी अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक पंजाब नेशनल बैंक 7-भीकाजी कामा प्लेस अफ्रीका एवेन्यू, नई दिल्ली-110066	सदस्य
6.	श्री टी० के० के० भागवत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इण्डियन ओवरसीज बैंक प्रधान कार्यालय पी०बी०नं०-3765 762 अन्ना सलाई मद्रास-600002	सदस्य
7.	डा० राम के० बेपा आई०ए०एस० (सेवा निवृत्त) 2058 सैन्टर सी-2 वसन्त कुंज नई दिल्ली-110070	सदस्य
8.	सचिव उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास विभाग सरकारी सचिवालय लखनऊ-226001	सदस्य
9.	श्री एस०एन० घोष सचिव पश्चिम बंगाल सरकार ग्रामीण विकास विभाग राजभवन, कलकत्ता-700001	सदस्य
10.	डा० टी०सी०ए० श्रीनिवासरामानुजन महानिदेशक राष्ट्रीय ग्रमीण विकास संस्थान राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-50003	सदस्य
11.	श्री मनी भाई देसाई भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन उर्लीकंचन, जिला पुने महाराष्ट्र	निधन के कारण 14.11.1993 से उनकी सदस्यता समाप्त हो गयी।
12.	मिस निर्मला देशपांडे अध्यक्ष हरिजन सेवा संघ गुरू तेग बहादुर नगर दिल्ली-110009	सदस्य

13.	डा० एन्के० बसु ग्रामीण औद्योगिकीकरण सोसाइटी बरियात् रांची (बिहार)-834009	सदस्य
14.	श्री अलोसियस पी० फर्नांडिज कार्यकारी निदेशक मैसूर रिसेटैलमेंट एंड ड्वेलपमेंट एजेंसी 2 सर्विस रोड हमलूर बैंगलोर-562071	सदस्य
15.	प्रो० वी०एस० व्यास निदेशक इंस्टीट्यूट ऑफ डवैलपमेंट स्टडीज 8-बी मौलाना इंस्ट्यूशनल एरिया जयपुर-302004	सदस्य
16.	अध्यक्ष खादी ग्रामोदयोग आयोग इर्ला रोड विले पारले (वेस्ट) बम्बई-400056	सदस्य
17.	श्री जे०एम० चोना आर्थिक सलाहकार सरल प्लानिंग एंड क्रेडिट विभाग रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया बम्बई	सदस्य सचिव

* अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

श्री के०वैनन, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, देना बैंक को श्री भागवत के स्थान पर नियुक्त किया गया।

+भारतीय रिजर्व बैंक से सेवा निवृत्त हो चुके हैं। श्री के०के० मुदगिल, मुख्य अधिकारी ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक 25.07.1994 से सदस्य सचिव नियुक्त हुए हैं।

Tussle between Director and President of AIIMS

502. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there was tussle between the Director and President of the All India Institute of Medical Science (AIIMS), Delhi; and

(b) if so, what steps have been taken to avoid general deterioration, frustration and demoralisation in all ranks of the faculty?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A.R. ANTULAY): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Rate of interest on loans of Khadi and Village Industries

503. SHRI JOY NADUKKARA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state whether Government propose to reconsider its decision to enhance the rate of interest of the loans of the Khadi and Village Industries Boards and Khadi commission, from 4% to a higher rate so as to help the poor applicant?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): On the basis of the recommendations of the High Power Committee, the scheme of providing interest subsidy on loans for the village industries has been discontinued. In its recommendations, the Committee has emphasised the need to obtain adequate finance rather than concessional finance for village industries.

As a follow up on the recommendations of the Committee, Khadi & Village Industries Commission (KVIC) has been permitted to provide margin money upto 25% of the project cost subject to a ceiling of Rs. 4 lakhs in the form of grant for all viable village